अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

अधि0सं0–निग / सारा–उ0बि0 (रा0उ0प0)–106 / 2013 पटना, दिनांक :– 9/1/19

कार्यालय आदेश –13

श्री राकेश कुमार गुप्ता, तत्कालीन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा सम्प्रति : कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–1, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा के पदस्थापन काल में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–102 के छपरा–रेवाघाट पथ में कराये गये कार्यों की जाँच उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–2 से करायी गयी। उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–2 द्वारा प्रारंभिक एवं गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन क्रमशः पत्रांक–130 अनु0 दिनांक–04.10.13 एवं पत्रांक–145 अनु0 दिनांक–22.10.13 द्वारा समर्पित किया गया।

2. आलोच्य पथ के कार्य से संबंधित प्रारंभिक एवं गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरांत निम्न त्रुटियाँ पायी गयी :–

(i) पथ के कि0मी0 19 में कराये गये SDBC कार्य का औसत FDD 2.0gm/cc पाया गया, जबकि प्रावधान 2.30gm/cc का है।

3. उपरोक्त पायी गयी अनियमितताओं / त्रुटियों के लिए श्री गुप्ता के विरूद्ध आरोप प्रपत्र–'क' गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–7956 (ई) अनु0 दिनांक–30.12.13 से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री गुप्ता से किये गये स्पष्टीकरण के आलोक में इनके द्वारा स्पष्टीकरण का उत्तर पत्रांक–शून्य दिनांक–15.01.14 से समर्पित किया गया। श्री गुप्ता द्वारा स्पष्टीकरण के बिन्दु (i) के संदर्भ में समर्पित प्रत्युत्तर में निम्न तथ्यों को रखा गया :–

हॉट मिक्स प्लांट से बिटुमिनस मिक्स गिरने के बाद एवं टीपर से कार्य स्थल पर बिटुमिनस मिक्स ले जाकर गिराने एवं पेभर से समुचित मोटाई में बिछाने के बाद पथ बेलन (रोड रोलर) से इसकी समुचित चपाई IRC द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप समुचित चपाई पथ बेलन से की गयी थी। पथ बेलन से SDBC की चपाई तब तक चालू रखी गयी थी, जब तक पथ बेलन के चक्के का निशान SDBC के परत पर पड़ना पूर्णतः बंद नहीं हो गया था।

त्रुटि संख्या–(i) में अंकित अपेक्षित FDD की कोई प्रावैधिक प्रासंगिकता, आलोच्य कार्य के compaction के संदर्भ में नहीं है, क्योंकि SDBC परत की समुचित चपाई पथ बेलन से उपर्युक्त निर्धारित विधि से करायी गयी थी।

4. आरोप संख्या–(i) के संबंध में **SDBC** कार्य का औसत FDD प्रावधान से कम पाये जाने के बिन्दु पर श्री गुप्ता के द्वारा कोई ठोस एवं खंडन युक्त तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप श्री गुप्ता के समर्पित स्पष्टीकरण को तकनीकी रूप से स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में मामले की सम्यक् रूप से समीक्षा के उपरांत श्री राकेश कुमार गुप्ता, तत्कालीन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा सम्प्रति : कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–1, मुजफ्फरपुर से प्राप्त स्पष्टीकरण उत्तर के बिन्दु (i) को अस्वीकृत करते हुए अंकित

त्रुटियों का दोषी पाते हुए इनके विरूद्ध सरकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (v) के तहत निम्न दंड संसूचित किया जाता है :–

(i) एक (01) वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

ह०/–

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 232 (E) पटना, दिनांक :– 9/1/19

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग/अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, मुजफ्फरपुर/अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अंचल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–1, मुजफ्फरपुर/उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी (प्रभारी प्रशाखा–3), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (मुख्यालय/लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1/2/3/6/13/14/रोकड़ शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं

निबंधित श्री राकेश कुमार गुप्ता, कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–1, मुजफ्फरपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/–

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 232 (E) पटना, दिनांक :– 9/1/19

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

9/1/19

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।